भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 406

जिसका उत्तर 24 जुलाई, 2024 को दिया जाना है।

2 श्रावण, 1946 (शक)

वैयक्तिक डाटा संरक्षण संबंधी विधियां

406. श्री शफी परम्बिलः

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोई विधि या तंत्र है जो नागरिकों की सहमति के बिना उनके डाटा के उपयोग पर आपत्ति करने का अधिकार सुनिश्चित करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने संवेदनशील डिजिटल वैयक्तिक डाटा की एक विशेष श्रेणी बनाई है जिसे केवल विशेष अनुमति और प्रोटोकॉल के साथ संसाधित किया जा सकता है;

(ङ) यदि हां, तो गोपनीय वैयक्तिक डाटा की श्रेणियों का ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो संवेदनशील और गोपनीय वैयक्तिक डाटा के लिए अतिरिक्त सुरक्षा तंत्र प्रदान नहीं करने के क्या कारण हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (च): डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 अपने व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए व्यक्तियों के अधिकार को मान्यता देता है और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए सभी स्वीकृत सिद्धांतों को शामिल करता है। इसमे शामिल है:

(i) व्यक्तिगत डेटा का सहमत, वैध और पारदर्शी उपयोग का सिद्धांत;

(ii) उद्देश्य सीमा का सिद्धांत (डेटा प्रिंसिपल की सहमति प्राप्त करने के समय केवल निर्दिष्ट उद्देश्य हेतु व्यक्तिगत डेटा का उपयोग);

(iii) डेटा न्यूनीकरण का सिद्धांत (केवल उतना ही व्यक्तिगत डेटा एकत्र करना जितना निर्दिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक हो);

(iv) डेटा सटीकता का सिद्धांत (यह सुनिश्चित करना कि डेटा सही और अद्यतित हो);

(v) भंडारण सीमा का सिद्धांत (डेटा को केवल तब तक संग्रहीत करना जब तक कि निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए इसकी आवश्यकता हो);

(vi) उचित सुरक्षा उपायों का सिद्धांत; और

(vii) जवाबदेही का सिद्धांत (डेटा उल्लंघनों के अधिनिर्णयन और विधेयक के प्रावधानों के उल्लंघन और किए गए उल्लंघनों के लिए दंड लगाने के माध्यम से)

*****